

(3)

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF----- J.M.F.C., Gohad, DIST- Bhind (M.P)

Case No..... 60/17 Complaint or report made on

Name and address of the Complainant.....
.....र.प. क. गुप्ता.....
.....महेश मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.....
.....महेश मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.....

Name , parentage, caste and address of accused

① रमेश ड।० महेश उशवाह R 10 व।० 05
महेश

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 19-1-17 मुकाम
व।० रोड गोहाद
में आम रोड पर महेश उशवाह करते हुये मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे
जो कि धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

मिना (रि)
रमेश

र.प. क. गुप्ता
महेश मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

र.प. क. गुप्ता
महेश मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

// निर्णय //

(आज दिनांक 25/3 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(3) पुलिस अधिनियम के तहत समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है।
03. अभियुक्त को धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत रुपये 500 शब्दों में धत्ता रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 7 का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
04. जप्तबुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

मेरे निर्देशन पर टंकित

महेश्वर गुप्ता
मायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
लोहा जिला सिविल 4050